

परिशिष्ट - VI

सत्र 2015-16 के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा वंचित समूह श्रेणी (आरटीई अधिनियम, 2009) के अन्तर्गत प्रवेश के लिए एक समान आवेदन पत्र

पंजीकरण

(विद्यालय द्वारा भरा जाए)



- क. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग .....
- ख. वंचित समूह .....
- (जो लागू हो निशान लगाईये)
- विद्यालय का नाम : .....  
(पूरा पते सहित)
  - कक्षा : प्री नर्सरी ..... प्री प्राइमरी ..... कक्षा 1 .....
  - बच्चे का नाम : .....
  - धर्म : .....
  - लिंग : पुरुष ..... स्त्री .....
  - क) जन्म तिथि दिन ..... माह ..... वर्ष .....
  - ख) जन्म तिथि (शब्दों में) .....
  - 31.03.2015 को आयु : .....  
(शब्दों में)
  - माता का नाम : .....
  - पिता का नाम : .....
  - अभिभावक का नाम : .....  
(यदि लागू हो तो)
  - अभिभावक का व्यवसाय :  
(क) माता .....  
(ख) पिता .....
  - वर्तमान आवासीय पता \*\* : .....
  - माता-पिता / अभिभावक की फोन संख्या  
(क) मोबाइल नम्बर .....  
(ख) लैंडलाइन नम्बर .....
  - क्या माता-पिता का दिल्ली में कोई मकान है : हाँ / नहीं  
यदि हाँ तो उसका पूरा पता .....

15. माता/पिता दोनों की कुल आय सभी स्रोतों द्वारा :
16. आय का प्रमाण \*\*\* : .....  
(वंचित समूह वर्ग "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग जोकि क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते/ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों/निशक्त बच्चों जैसाकि इससे सम्बंधित पी.डी. एक्ट, 1995 में परिभाषित है/अनाथ/अलाभित समूह का बालक" के लिए आय के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।)
17. दस संख्या नं. / आय प्रमाण पत्र की आई.डी. संख्या : .....
18. वंचित समूह का प्रमाण \*\*\* : .....

**माता / पिता द्वारा घोषणा**

मैं ..... (नाम) पिता / माता का नाम .....  
..... (बच्चे का नाम) इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार उक्त जानकारी सत्य एवं सही है। मैंने इस संबंध में अधिसूचना के सारे उपबन्ध पढ़कर समझ लिये हैं। यदि सत्यापन करने पर कोई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है तो मेरे बच्चे का प्रवेश रद्द किया जा सकता है।

दिनांक

माता/पिता का नाम

**निम्नलिखित में से कोई एक प्रमाण प्रस्तुत करें :**

- \*
- (1) जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जन्म प्रमाण पत्र ।
  - (2) अस्पताल/सहायक नर्स और मिडवाइफ (एएनएम) रजिस्टर अभिलेख ।
  - (3) आंगनवाड़ी अभिलेख ।
  - (4) माता-पिता या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का घोषणा पत्र ।
- \*\*
- (1) बच्चे के नाम वाले पिता/माता के नाम पर जारी राशन कार्ड ।
  - (2) बच्चे का या उसके माता-पिता के अधिवास का प्रमाण पत्र ।
  - (3) माता-पिता में से किसी एक का मतदाता पहचान पत्र ।
  - (4) विद्युत बिल/महानगर टेलिफोन निगम का टेलिफोन संख्या/जल बिल ।
  - (5) भारत सरकार द्वारा जारी माता/पिता/बच्चे का विशिष्ट पहचान पत्र ।
  - (6) माता-पिता में से किसी एक के नाम या बच्चे का परपत्र ।
- \*\*\*
- (1) कम से कम तहसीलदार की रैंक के किसी राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र ।
  - (2) बीपीएल राशन कार्ड (पीले रंग का)
  - (3) एएवाई राशन कार्ड (गुलाबी रंग का)
  - (4) खाद्य सुरक्षा कार्ड

\*\*\*\*

- (1) कम से कम तहसीलदार की रैंक के किसी राजस्व अधिकारी द्वारा या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र ।
- (2) उपायुक्त कार्यालय द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ।
- (3) सरकारी अस्पताल का चिकित्सा प्रमाण पत्र यदि बच्चों का विशेष आवश्यकताओं की जरूरत हो/अपंग है।
- (4) अनाथ बच्चे की स्थिति में दिनांक 11.12.12 के आदेश के अनुसार महिला एवं बाल कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार प्रमाण पत्र ।